HT MEDIA LIMITED
Regd. Office : Hindustan Times House
18-20, Kasturba Gandhi Marg
New Delhi - 110001
Tel.: 66561234 Fax : 66561270
www.hindustantimes.com
E-mail : corporatedept@hindustantimes.com
CIN L22121DL2002PLC117874

22nd July, 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Scrip Code: 532662

Trading Symbol: HTMEDIA

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations)

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Listing Regulations, please find enclosed copies of advertisement published on 22nd July, 2026 in the “Mint” (English) and "Hindustan" (Hindi) newspapers regarding dispatch of letters to those shareholders whose unclaimed dividend and underlying equity shares are liable to be transferred to IEPF as per Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HT Media Limited**

Manhar Kapoor
Digitally signed by Manhar Kapoor
Date: 2026.07.22 12:57:16 +05'30'

(Manhar Kapoor)
Group General Counsel & Company Secretary

Encl: *As above*

Corp. office : 5th Floor, Lotus Tower, A Block,
Community Centre, New Friends Colony,
New Delhi- 110025
Ph.: 011-66561234

The Nasik Merchants Co-operative Bank Ltd., Nashik

नामको बँक
(मल्टि-स्टेट शेडयुल्ड बँक)

Namco Bank
(Multi-State Scheduled Bank)

Administrative Office: A-16, Industrial Estate, Padmashri BabubhaiRathi Chowk, Netaji Subhashchandra Bose Marg, Satpur, Nashik - 422007

Annual General Meeting Notice

The 68th Annual General Meeting of members of "The Nasik Merchants Co-Operative Bank Ltd., Nashik" will be held on **Saturday, 8th August, 2026 at 11.00 a.m.** under the Chairmanship of Shri. Hemant Haribhau Dhatrak, at Bank's Administrative Office Satpur, Nashik - 422007 to discuss and consider following subjects -

Agenda of Meeting

1) To read and confirm the minutes of last Annual General Meeting held on 20th September, 2025
2) To read and confirm the Annual Report of the Bank for the year 2025-2026.
3) To consider and approve the audited annual accounts which consists of Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2026.
4) To take note on Statutory Audit Report for the year 2025-2026.
5) To approve the excess expenditure more than the budgeted expenses for the year ended 31st March 2026.
6) To approve Appropriation of Net Profit and declaration of dividend.
7) To take a note on loans granted to Directors and their relatives.
8) To approve the loan accounts considered or to be considered under One Time Settlement (OTS) Scheme as per guidelines stipulated by Reserve Bank of India.
9) To approve the Expenditure Budget for the year 2026-2027.
10) For Appointments of Statutory Auditor for the Financial Year 2026-27 as per Reserve Bank of India circular dated 27th April 2021 to take note and approve the proposal sent to the Reserve Bank of India as finalized by the Board of Directors.
11) To authorize the Board of directors to appoint concurrent auditors for the year 2027-2028.
12) To consider and approve the changes in the bye-laws suggested by the Board of Directors.
13) To Condon the leave of absence to those members who could not attend the 68th Annual General Meeting.
14) To Take note of the approval of the newly appointed Chief Executive Officer of the bank.
15) To discuss and approved the voluntary amalgamation of Motiram Agrawal Jalna Merchants Co-op Bank Ltd. Jalna in our bank.
16) To Approve the draft agreement prepared for the merger of the Motiram Agrawal Jalna merchants Co-op Bank Ltd. Jalna in our bank.
17) Any other item with the permission of Chairman.

Nashik
Date: 15th July 2026.

By Order of Board of Directors
Trigun Kulkarni
Chief Executive Officer

Note : 1) If there is no Quorum of the meeting at the scheduled time, the meeting shall be Adjourned to 11.30 noon on the same day and the Agenda of the meeting shall be transacted. The adjourned meeting will not require quorum.
2) If any member desires to have any information, He/ She may send such request to above Address not later than 1st August 2026, so that the required information may be made available in Annual General Meeting.
3) The member should bring their Photo Identity proof to the meeting.
4) The minutes of the AGM held on 20th September, 2025 and 67th Annual Report would be made available at nearest Branch Office and at the meeting venue. Same are also available on our Web Site: www.namcobank.in
5) Share Holder are requested to note that concidering point no.15 and 16 in the agenda voting is require, only the share holder of the bank are permitted to vote as per the bye-laws.
6) The draft agreement prepared for the amalgamation, in accordance with subject no.16 is available at the banks administrative office.

Canara HSBC Life Insurance Company Limited

Canara HSBC LIFE INSURANCE

139, Sector - 44, Gurugram-122003, Haryana (India)
Tel: 0124-4535500, Email: procurement@canarahsbclife.in

NOTICE INVITING BIDS/OFFERS

Open Tender is invited against **RFP for Supply of 600 Laptops dated 22nd July'26.**

Above tender has been uploaded on **https://www.canarahsbclife.com/tenders-notices.html**, website of Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. All prospective bidders are advised to visit the aforesaid website for downloading the RFP.

CENTRAL RAILWAY

Open Tender Notice No. DYCE-C-WR-05-2026 DATED 16.07.2026

Name of work: Construction of New High Level Platform at Tadali Railway Station and Earthwork in Filling behind 120 m Dead End at Chotipadoli Railway Station under Dy.CE(C)II, Wardha. **Approximate Cost :** ₹ 2,11,07,242.01. **Completion Period:** 06 Months. **EMD:** ₹4,22,200.00. **Date and time of closing of tender** 12.08.2026 at 15.00 Hrs. Complete details and instructions for E-tendering and online participation for the work is available on Railway's website : **www.ireps.gov.in**

Asst. Exe. Engineer(Construction), Nagpur

EXP/63/337

RailMadad Helpline 139

CENTRAL RAILWAY

Open Tender Notice No. DRMWNGP-77-2026 OF 16.07.2026

1) Name of work: Proposed miscellaneous P.way work, scattered renewal and other required works on Jaulkhera - Teegaon section under SSE(P.way) Multai Section under ADEN Amla sub division. **Approximate Cost** : ₹17024238.15. **Earnest Money:** ₹340500.00. **2) Name of work:** Bordhai-Soft Upgrade of Bordhai (NSG-5) Railway Station (NSG-5) of Nagpur Division PH-53. **Approximate Cost :** ₹46386060.62. **Earnest Money:** ₹927700.00. **Date & time of closing of tender** 07.08.2026 15.00 Hrs. Complete details and instructions for e-tendering and on-line participation for the above work is available on Railway's website : **www.ireps.gov.in**

EXP/58/332 *DRM(Works), Nagpur*

RailMadad Helpline 139

IndiaMART InterMESH Limited

indiamart

CIN: L74899DL1999PLC101534
Regd. Office: 1st Floor, 29- Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi- 110002
Corp. Office: 6th Floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector-135, Noida- 201305, U.P.
Website: www.indiamart.com; Ph. No: +91-011-45608941/+91-120-6777700

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

The Board of Directors of the Company at their Meeting held on Tuesday, July 21, 2026, approved the Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2026.

The said results, along with the Auditors' Reports have been disseminated on the Company's website at https://investor.indiamart.com/FinancialResultsStatements.aspx and can be accessed by scanning the QR Code.

For and on behalf of the Board of Directors
IndiaMART InterMESH Limited
Sd/-
Dinesh Chandra Agarwal
(Managing Director and Chief Executive Officer)
DIN No.00191800

Date: July 21, 2026
Place: Noida

MADHYA PRADESH TOURISM BOARD

6th Floor, Lily Trade Wing, Jahangirabad, Bhopal
Madhya Pradesh, India. Pincode-462008
Website : www.tourism.mp.gov.in
Corporate Identification Number (CIN) : U75302MP2017NPL043078

The heart of Incredible India

"REQUEST FOR PROPOSAL"

NIT & System No.	PROJECT NAME
NIT No.: 4283/ योजना/म.प्र.टू. बो/2026 and SYSTEM No. 2026_ MPTB_523015 dated 21.07.2026	"Request for Proposal for Appointment of Agency for Conservation of Moti Mahal, Development of Museum of Music and for Operations, Maintenance & Management of the Museum at Moti Mahal, Gwalior, Madhya Pradesh, India"

MPTB invites offers for "Request for Proposal for Appointment of Agency for Conservation of Moti Mahal, Development of Museum of Music and for Operations, Maintenance & Management of the Museum at Moti Mahal, Gwalior, Madhya Pradesh, India" The detailed terms & conditions can be downloaded from website **https://www.mptenders.gov.in/ www.tourism.mp.gov.in** For any other information please contact. Mob. **No. +91-9993574567 & +91-9425184809** or e-mail at **jdplg.mptb@mp.gov.in** & psbaghel.mptb@mp.gov.in Last Date and Time for online submission of the RFP is 13.08.2026 @ 17:00 Hr.

M.P. Madhaym/127067/2026 **MANAGING DIRECTOR**

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

YEIDA FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1 (पी–2), ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक : वाई.ई.ए. / OSD(M) / 2026/235 **ई–निविदा आमंत्रण सूचना** दिनांक : 20/07/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित / अर्द्धशासिक / सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों का कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों / फर्मो से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। ई–प्रीक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदायें द्विस्तरीय पद्धति से खोली जायेंगी।

कार्यालय आदेश संख्या : वाई.ई.ए. / OSD(M) / 2026 / 234 दिनांक 20.07.2026 के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यों में संविदाकार द्वारा यदि न्यूनतम दरदाता (L1) द्वारा स्वीकृत बीओक्यू (BOQ) लागत से 10% तक कम दरें कोट की जाती हैं, तो कोई अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं करनी होगी। लेकिन यदि न्यूनतम दरदाता द्वारा स्वीकृत बीओक्यू लागत से 10% से अधिक कम दरें कोट की जाती हैं तो 10% से अधिक जितनी भी प्रतिशत कम दरें कोट की जाएंगी, प्रत्येक 1% पर 1% की दर से अतिरिक्त सुरक्षा / परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करानी होगी।

उक्त अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अनुबन्ध के निष्पादन (एग्रीमेंट करने) के समय ठेकेदार द्वारा जमा कराई जाएगी तथा परफॉर्मेन्स गारन्टी एफ.डी.आर. / सी.डी.आर. / बैंक गारन्टी / एन.एस.सी. के रुप में न्यूनतम संविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापिस होगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम / वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
1.	Supply, Installation, Testing, Commissioning, and Integration of 76 Three-Phase Smart Energy Meters, along with a Centralized Control and Monitoring System (CCMS), for the Street Lighting Network at YEIDA, **(WC-E&M-02)**	रु. 08.37 लाख
2.	S/I/T/C of CCTV Camera Setup at Group Housing Sector-22D YEA **(WC-E&M-02)**	रु. 13.12 लाख
3.	Operation and Maintenance of 02nos Tubewell and O.H.T at Sector-22D RPS-02 (2026-2027) yea **(WC-E&M-02)**	रु. 11.42 लाख
4.	Operation and Maintenance of 02nos Tubewell at Sector-29 (2026-2027) yea **(WC-E&M-02)**	रु. 11.42 लाख
5.	Operation and Maintenance of 02nos Tubewell and UGR at Sector-22D RPS-04 (2026-2027) yeida **(WC-E&M-02)**	रु. 11.42 लाख
6.	S/I/T/C of Solar Street Light at Falaida Bangar Gaushala Jewar Gaushala and Chanchali Gaushala yeida **(WC-E&M-02)**	रु. 19.74 लाख

जिन्हें दिनांक 24.07.2026 से 31.07.2026 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई–निविदाओं की प्री–क्वालीफिकेशन दिनांक 04.08.2026 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रुप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

विशेष कार्याधिकारी (एम.)
यमुना विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीद–फरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

PARTNER IN SHAPING
GUJARAT'S MINERAL PROCESSING ECOSYSTEM IN KUTCH

GMDC
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
(A Government of Gujarat Enterprise)
FUELING THE GROWTH

GMDC, one of India's leading mining PSUs, invites reputed agencies to submit proposals for preparation of DPRs for Three Integrated Mineral Processing Parks at Lakhpat, Abdasa, and Mundra Talukas in Kutch.

Mineral Processing Park at Lakhpat and Abdasa Talukas, Kutch
RFP No.: **GMDC/PP&D/004/2026-27**

Mineral Processing Park at Mundra Taluka, Kutch
RFP No.: **GMDC/PP&D/005/2026-27**

Submission Deadline:
25th August, 2026 up to 16:00 IST

For detailed RFP documents, eligibility criteria and submission guidelines, visit: **www.gmdcltd.com**

Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
(A Government of Gujarat Enterprise)
Khanij Bhavan, 132 Feet Ring Road, Nr. University Ground, Vastrapur, Ahmedabad - 380052

Great Place To Work. Certified
GOLDEN PEACOCK AWARDS
GOLDEN PEACOCK AWARDS

HT Media Limited

CIN: L22121DL2002PLC117874
Registered Office: Hindustan Times House, 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001
Ph.: +91-11-66561355
E-mail: corporatedept@hindustantimes.com; website: www.htmedia.in
Corporate Office: 5th Floor, Lotus Tower, A Block, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi-110025

NOTICE
(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub: Transfer of unpaid/unclaimed dividend & Equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 (**"Act"**) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (**"IEPF Rules"**), if dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven (7) years or more, the same shall be liable to be transferred by the Company to the IEPF account. Further, in terms of Section 124(6) of the Act and IEPF rules, the Company is also required to transfer the shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven (7) consecutive years or more, to the IEPF Account.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders, on their latest available address, whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the IEPF Rules, for taking appropriate action(s). The list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are liable for transfer to the IEPF, is placed on the website of the Company i.e. **www.htmedia.in** under 'Investor relations' section.

The concerned shareholders holding shares in physical form, and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for dematerialization, followed by transfer of shares to IEPF Authority as per the IEPF Rules. Upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will automatically stand cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in demat form, the Company will inform the respective Depository by way of corporate action for transfer of shares to IEPF Authority. The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website viz. **www.htmedia.in** will be considered as, and shall be deemed to be, adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

The concerned shareholders are requested/advised to claim the unpaid/ unclaimed dividend amount(s) **on or before October 29, 2026**, failing which the Company shall proceed to transfer the liable dividend and Equity shares to IEPF Authority without any further notice. The concerned shareholders may still claim the dividend and Equity shares from IEPF Authority by submitting an online application in E-Form IEPF-5, available on the website **www.iepf.gov.in** and following the procedure laid down under the Act and the IEPF Rules.

Kindly note that unpaid/unclaimed dividend for financial years upto 2017-2018 and shares in respect thereof, have already been transferred to IEPF, and the same can be claimed back from IEPF Authority, following the procedure laid down under the said IEPF Rules.

For any queries in respect of the above, shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent at KFin Technologies Ltd., Unit: **HT Media Limited**, Ramky Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500032. Toll Free No.: 1800-309-4001; Email: **einward.ris@kfintech.com**; Website: **www.kfintech.com**.

For **HT Media Limited**
Manhar Kapoor
(Group General Counsel & Company Secretary)

Date: July 21, 2026
Place: New Delhi

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

YEIDA FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर, 201308 (उ.प्र.)
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक: वाई.ई.ए. / भूलेख / 1739 / 2026 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक: 17.07.2026

यमुना एक्सप्रेसवे औ.वि. प्राधिकरण द्वारा ग्राम मूँजखेडा में अर्जित भूमि खसरा संख्या 371 व 372 जो प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग, भूखण्ड संख्या जी.एच. 2बी, सैक्क्टर 22डी (10 एकड) भूखण्ड के अंतर्गत आ रही है, के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण किया जाना है।

ग्राम का नाम	ग्रुप हाउसिंग, भूखण्ड संख्या जी.एच. 2बी, सैक्क्टर 22डी (10 एकड) भूखण्ड के अंतर्गत आ रही भूमि
ग्राम मूँजखेडा	371 व 372

भूमि के अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर सी.आर. सेल / तहसीलदार, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

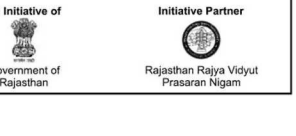

डिप्टी कलेक्टर
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

YEIDA FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2) ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296, वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक: वाई.ई.ए. / भूलेख / 564 / 2026 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक: 18.07.2026

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा **ग्राम फाजिलपुर** के अन्तर्गत आने वाली भूमि का सुनियोजित विकास हेतु सम्बन्धित कृषकों द्वारा दी गई सहमति की दर 3808/– प्रति वर्गमीटर से प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या– 314 / 77–3–163एम दिनांक 23.02.2016 में तय प्रक्रियानुसार निम्नानुसार क्रय किया जाना प्रस्तावित है, आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम व पता	खाता संख्या	खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे. में)
1.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री पंकज त्यागी पुत्र श्री सतवीर नि. ग्राम मकसूदपुर	88	127स 128स 104	0.7770 0.1390 1.0104	में से	0.0582 0.0104 0.0951 0.1637
2.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री मनोज कुमार पुत्र सतवीर नि. ग्राम मकसूदपुर	88	127स 128स 104	0.7770 0.1390 1.0104	में से	0.0583 0.0105 0.0951 0.1639
3.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री ओंकार पुत्र मुरारी नि. ग्राम मकसूदपुर	14	38	0.7340	में से	0.3670
4.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री ओंकार पुत्र मुरारी नि. ग्राम मकसूदपुर	18 56 16 17 15	115 127स 230 235 137 161	0.1790 0.0820 0.6960 0.4550 0.3020 0.2880	में से	0.0895 0.0102 0.3480 0.1138 0.1510 0.1440 0.8565
5.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री गोवर्धन पुत्र सुखराम नि. ग्राम मकसूदपुर	30	153	0.0510	में से	0.0255
		योग					1.5766

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अन्दर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीद–फ़रोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

PFC CONSULTING LIMITED

(A wholly owned subsidiary of PFC Limited)
Regd. Office: First Floor, "Urjanidhi", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi - 110001, (India) Fax: 011-23443990

GLOBAL INVITATION (THROUGH E-BIDDING ONLY)

FOR SELECTION OF TRANSMISSION SERVICE PROVIDER ON BUILD, OWN, OPERATE AND TRANSFER (BOOT) BASIS FOR INTRA-STATE TRANSMISSION PROJECT IN RAJASTHAN

PFC Consulting Limited, a wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited (A Government of India Undertaking), invites proposals for setting up of transmission projects on Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) basis following single stage two envelope process of "Request for Proposal" (RfP).

Interested bidders may refer to the RfP notification and RfP documents available on the website **https://www.mstcecommerce.com** and **https://www.pfcclindia.com**.

The Bidders may obtain the RfP documents on all working days between 10:30 hrs (IST) and 16:00 hrs (IST) **from 22.07.2026 to one working day prior to bid submission for the project mentioned below** on payment of a non-refundable fee of Rs. 5,00,000/- or USD 7,000 plus applicable GST @18% from 9th Floor, Wing-A, Statesman House, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel.: +91-11-23443996; Fax: +91-11-23443990; e-mail: **pfccl.itp@pfcindia.com**. The RfP documents can also be downloaded from **https://www.mstcecommerce.com** and **https://www.pfcclindia.com**, however, in such case, interested party can submit Response to RfP only on submission of non-refundable fee of Rs. 5,00,000/- or USD 7,000 plus applicable GST @18% separately. The survey report and clarification to RfP documents shall be issued to those bidders, who have obtained/ purchased RfP documents by paying requisite fee at least one working day prior to bid submission date. Bidders should regularly visit website to keep themselves updated regarding clarifications/ amendments/ time extensions etc., if any. The important timelines in this regard are as follows:

S. No.	Name of Transmission Scheme	Last Date for seeking clarifications (dd/mm/yyyy)	Last Date for submission of response to RfP (dd/mm/yyyy)	Date of opening of Response to RfP (dd/mm/yyyy)
1.	**765 kV GSS Bikaner (Pugal) along with associated Transmission System**	11/08/2026	25/09/2026 up to 15:00 hrs (IST)	25/09/2026 up to 15:30 hrs (IST)
2.	**765 kV GSS Babai along with associated transmission system**	11/08/2026	25/09/2026 up to 15:00 hrs (IST)	25/09/2026 up to 15:45 hrs (IST)

Note: PFC Consulting Limited reserves the right to cancel or modify the process without assigning any reason and without any liability. This is not an offer.

Bid Process Coordinator
PFC CONSULTING LTD.
(A wholly owned subsidiary of PFC Ltd.)
(A Govt of India Undertaking)

An Initiative of
Government of Rajasthan

Initiative Partner
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam

Investing in the US isn't that difficult

Get expert insights, market analysis and macro trends with

BARRON'S

Now exclusively available on mint

Subscribe now

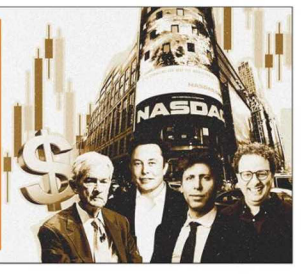

जल्द शुरू होगी टैप-टू-पे सुविधा, दूरदराज के इलाकों में भुगतान करना आसान होगा

बिना इंटरनेट भी यूपीआई चलेगा

तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ऐसी नई सुविधा पर काम कर रहा है, जिससे इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी यूपीआई भुगतान किया जा सकेगा। इसे नए ऑफलाइन 'टैप-टू-पे' फीचर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। जल्द ही यह सुविधा आम लोगों के लिए शुरू हो सकती है।

जानकारों के मुताबिक, यह सुविधा एनएफसी (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) तकनीक पर आधारित होगी। इसके तहत उपभोक्ता को अपने एनएफसी समर्थित स्मार्टफोन को दुकानदार या कारोबारी के पास मौजूद भुगतान मशीन (पीओएस टर्मिनल) पर छुआना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों उपकरण आपस में संपर्क बनाकर भुगतान की जानकारी साझा कर लेंगे और लेनदेन पूरा हो जाएगा।

इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन करने या कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यूपीआई पिन डालने की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि यह सुविधा मॉल, सुपरमार्केट और खुदरा दुकानों पर डिजिटल भुगतान के मामले में बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।

डिजिटल भुगतान: विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से यह सहूलितय ऐसे समय विकसित की जा रही है, जब देश में यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। जून 2026 में यूपीआई के जरिए 22.72 अरब लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 28.92 लाख करोड़ रुपये रहा। ऑफलाइन भुगतान की सुविधा शुरू होने से उन क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर रहती है।

कैसे काम करेगी नई तकनीक

नई व्यवस्था में भुगतान करने से पहले उपयोगकर्ता को अपने यूपीआई लाइट खाते में राशि पहले जोड़नी होगी। इसके बाद वे इंटरनेट नहीं होने पर भी फोन को पीओएस मशीन से टैप कर भुगतान किया जा सकेगा। चूंकि भुगतान पहले से जमा की गई राशि से होगा, इसलिए लेनदेन के समय बैंक सर्वर से संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। भुगतान मशीन लेनदेन की जानकारी अपने पास सुरक्षित रखेगी। जैसे ही इंटरनेट संपर्क वापस आएगा, यह जानकारी सत्यापन और सेटलमेंट के लिए आगे भेज दी जाएगी।

2,000 रुपये तक होगा ऑफलाइन भुगतान

प्रस्तावित व्यवस्था में इंटरनेट नहीं होने पर अधिकतम 2,000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा। हालांकि, आरबीआई के मौजूदा नियमों के तहत सामान्य ऑफलाइन लेनदेन की सीमा 500 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन है। वहीं यूपीआई लाइट के जरिए 1,000 रुपये तक भुगतान और 5,000 रुपये तक बैलेंस रखने की अनुमति है।

यूपीआई लाइट से अलग

यह सुविधा यूपीआई लाइट एक्स से अलग होगी। इसे सितंबर 2023 में शुरू किया गया था, जिससे मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी ऑफलाइन भुगतान की सुविधा मिलती है। नई व्यवस्था में ग्राहक एनएफसी वाली भुगतान मशीन पर मोबाइल टैप करके भुगतान कर सकेंगे। यानी ऑफलाइन भुगतान का दायरा पारंपरिक भुगतान मशीनों मशीनों तक बढ़ जाएगा।

सत्यापन होगा

रिपोर्ट के अनुसार, एनपीसीआई इस वर्ष विभिन्न कंपनियों के पीओएस टर्मिनलों का प्रमाणन शुरू कर सकता है। इसके बाद बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के जरिए इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने की संभावना है। यह सुविधा उन जगहों के लिए तैयार की जा रही है, जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता या नेटवर्क कमजोर रहता है। इसमें हवाई जहाज के भीतर, भूमिगत मेट्रो नेटवर्क और दूर-दराज के इलाके शामिल हैं।

अभी क्या है व्यवस्था?

वर्तमान में यूपीआई से भुगतान के लिए सामान्यतः इंटरनेट की जरूरत होती है। हालांकि, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई 123पे और कुछ अन्य ऑफलाइन विकल्प पहले से उपलब्ध हैं। नया ऑफलाइन टैप-टू-पे फीचर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को बिना इंटरनेट के भी तेज और आसान भुगतान की सुविधा देने की दिशा में अगला बड़ा कदम माना जा रहा है।

आयकर रिटर्न में हर बैंक खाते का ब्योरा देना होगा

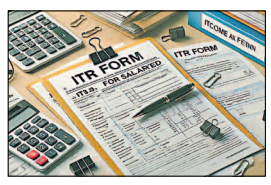

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय बैंक खाते की जानकारी पूरी तरह सही और अपडेट रखें। गलत, बंद या निष्क्रिय बैंक खाते का विवरण देने पर रिफंड अटक सकता है और कई मामलों में आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी हो सकता है।

विभाग अब बैंक खातों और अन्य वित्तीय जानकारियों का पहले से अधिक डिजिटल मिलान कर रहा है। इस जानकारी को छिपाने या गलत तरीके से भरने पर कर विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण का नोटिस जारी किया जा सकता है।

नियमों के अनुसार भारत में मौजूद हर उस बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी है, जो पिछले साल चालू था। केवल उन खातों को छोड़ सकते हैं जिन्हें बैंक की तरफ से आधिकारिक रूप से पूरी तरह निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी खाते में कोई बड़ा लेन-देन नहीं हुआ है, तो उसे छोड़ सकते हैं लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।

इन खातों का विवरण जरूरी : सक्रिय बैंक खातेः आपके सभी बचत और चालू खाते, जिनका आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं।

बंद हो चुके खातेः अगर आपने साल 2025-26 के बीच कोई खाता बंद भी करवा दिया है, तो भी उसके विवरण देने होंगे।

संयुक्त खातेः अगर आपका किसी के साथ संयुक्त खाता है और आप उसमें एक खाताधारक हैं, तो उसकी जानकारी भी देना जरूरी है।

ब्याज आय का खुलासा करना अनिवार्य होगा

सिर्फ बैंक खाते का नंबर देना काफी नहीं है। उसमें मिलने वाले ब्याज को भी फॉर्म में दिखाना होगा। टैक्सपेयर्स को बचत खाते, एफडी और आरडी से मिलने वाले ब्याज को 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत दिखाना चाहिए। भले ही बैंक ने आपका स्रोत पर कर न काटा हो, फिर भी वह ब्याज आपकी कुल कमाई का हिस्सा माना जाता है और उस पर टैक्स लग सकता है। रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने बैंक स्टेटमेंट को फॉर्म 26एएस और वार्षिक सूचना विवरण के साथ जरूर मिला लें।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स		निफ्टी	
77,470	-238.41	24,187	-50.80

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,47,700	+800
चांदी	2,21,500	स्थिर

करेंसी
डॉलर/रुपया
96.25 -0.11

मारुति 30 हजार तक दाम बढ़ाएगी

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया ने कच्चे माल और अन्य लागत में लगातार वृद्धि के असर की आंशिक भरपाई के लिए अगस्त से अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने घोषणा की है। कीमतों में बढ़ोतरी की वास्तविक राशि अलग-अलग मॉडल के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी।

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : नपाआ/स्टोर/2026–27/1629 दिनांक : 16/07/2026

ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना–

इस नगर पालिका क्षेत्र में घर–घर कचरा सग्रहण कार्य करने बाबत् पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाऐं आमन्त्रित कि जाती है। उक्त कुल 01 कार्य की अनुमानित लागत 400.00 लाख रू. है। विवरण निम्नानुसार है:–

ऑनलाईन निविदा विक्रय/डाउनलोड/प्राप्ति तिथि	निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क भौतिक रूप में जमा कराने की तिथि	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि
दिनांक 03.07.2026 प्रातः 9.30 से 30.07.2026 सांय 6.00 बजे तक	दिनांक 31.07.2026 प्रातः 9.30 से 2.00 बजे तक	दिनांक 03.08.2026

अन्य शर्तो आदी की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पालिका में देखी जा सकती है एंव उक्त निविदा http://eproc.rajasthan.gov.in एंव SPPP पोर्टल पर भी देखी जा सकती है, जिसके NIB CODE नम्बर DLB2627A3745 एंव UBN नम्बर निम्न है।

1. DLB2627WSOB09132

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका आसीन्द

राज.संवाद/सी/26/7279

सभी सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की सलाह

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या जून में लगभग 12 प्रतिशत घटकर 1.35 करोड़ रही, जबकि मई में एयरलाइन कंपनियों ने 1.53 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दी थीं। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण विमान ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से एयरलाइन कंपनियों ने अपने नेटवर्क में भी कुछ समय के लिए कटौती की थी। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

■ **अमेरिकी शोध संस्थान ने मोदी सरकार को सुधारों का 30-सूत्री एजेंडा सुझाया**

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी शोध संस्थान सीएसआईएस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए सुधारों का 30-सूत्री एजेंडा सुझाया है, जिसमें सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का 10 वर्षों में निजीकरण करने की योजना भी शामिल है।

'सेंटर फॉर स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' की इस रिपोर्ट में सुझाए गए 30 सुधारों में से तीन को मोदी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। इनमें जन विश्वास विधेयक 2.0 पारित करना, परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना और जीएसटी दरों का सरलीकरण शामिल हैं। रिपोर्ट में सुझाए गए अन्य प्रस्तावों में एफडीआई के स्रोत एवं गंतव्य पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करना और विदेशी संस्थागत निवेशकों की सीमा बढ़ाना शामिल हैं।

सीएसआईएस में भारत और उभरते एशिया अर्थशास्त्र के चेयर रिचर्ड रोसो ने कहा, 'बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने की गुंजाइश दिखती है और हाल के परमाणु एवं बीमा क्षेत्र के सुधार इस दिशा में संभावनाएं दिखाते हैं।'

सेंसेक्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट

मुंबई, एजेंसी। शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही और दोनों मानक सूचकांक नुकसान में रहे। एचडीएफसी बैंक में बिकवाली के दबाव के साथ अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में गिरावट आई।

सेंसेक्स 238.41 अंक टूटकर 77,470.11 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50.80 अंक के नुकसान के साथ 24,187.70 अंक पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों की निकासी ने जोखिम से बचने का माहौल बना दिया है।

महंगे ईंधन से घरेलू हवाई यात्री घटे

■ **मई के मुकाबले जून में हवाई यात्रियों की संख्या 12% कम हुई**

उड़ान रद्द होने की स्थिति

विमानन कंपनी	उड़ान रद्द
इंडियावन एयर	16.43
स्पाइसजेट	6.23
अलायंस एयर	06
फ्लाई91	4.15
स्टार एयर	1.02
एयर इंडिया समूह	0.49
इंडिगो व आकासा	0.20

■ आंकड़े प्रतिशत में

बीते वर्ष इसी महीने में 1.36 करोड़ यात्रियों की संख्या की तुलना में पिछले महीने यह गिरावट मामूली रही। हालांकि, साल के शुरुआती छह महीने में बीते वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी से जून 2026 के दौरान कुल 8.64 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों से सफर किया। यह संख्या बीते साल की समान अवधि के मुकाबले 1.44 फीसदी अधिक है। घरेलू विमानन बाजार में इंडिगो का दबदबा बना रहा। कंपनी की 66.3 फीसदी बाजार हिस्सेदारी रही। इसके बाद एयर इंडिया समूह की हिस्सेदारी 23.9 हिस्सेदारी रही है। वहीं, इस दौरान घरेलू उड़ानें 0.63 फीसदी रद्द हुई हैं। रद्द उड़ानों के प्रमुख कारणों में तकनीकी खराबी 39.6, संचालन संबंधी कारण 36.3, खराब मौसम 20.3, व्यावसायिक कारण 2.1 फीसदी और अन्य कारण 1.8 फीसदी रहे हैं।

16 हजार करोड़ के दावेदार नहीं मिले

रिपोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास साढ़े 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का कोई दावेदार नहीं है।

सरकार ने बताया कि लोग अपनी जमा धनराशि को पाने के लिए दावा करें, उसके लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कोई खास सुधार नहीं हो रहा है।

लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सवाल के जवाब में लिखित जानकारी दी है कि 31 मार्च 2026 तक एलआईसी के पास पॉलिसीधारकों की 5564.55 करोड़ रुपये की दावा न की गई राशि जमा है। इस राशि उस पर 1753.95 करोड़ रुपये की आय भी जमा है। इस तरह कुल 7318.50 करोड़ रुपये एलआईसी के पास है, जिसको लेकर कोई दावा नहीं किया जा रहा है।

सरकार ने बताया कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार यदि एलआईसी की कोई राशि 10 वर्ष तक बिना दावे के रहती है, तो उसे सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

एलआईसी हर वर्ष एक मार्च तक पात्र राशि इस फंड में जमा करती है। सरकार ने बताया है कि एलआईसी धनराशि ग्राहकों को लौटाने के लिए तमाम स्तर पर अभियान चलाए हैं।

ईपीएफओ में बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 31 मार्च 2026 तक निष्क्रिय खातों में कुल 9330.56 करोड़ रुपये जमा हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निष्क्रिय खातों में जमा राशि लौटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे खातों की केवाईसी के आधार पर पहचान की गई है। आधार सत्यापित ऐसे निष्क्रिय खातों, जिनमें एक हजार रुपये या उससे कम राशि है, उनके लिए स्वतः दावा निपटान की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इससे राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे अलग से दावा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ 23 साल पुराना मामला रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को बड़ी राहत देते हुए 23 साल पुराने आपराधिक मामले और समन आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि शिकायत के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था।

पीठ ने अपने अंतर्निहित अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मामला 23 वर्षों से लंबित है और तीन दशक पुराने लेन-देन से जुड़ा होने के बावजूद सुनवाई समन जारी होने के चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि इस मामले को अब समाप्त करना ही उचित है।

विदेशी निवेश संबधी नए नियमों का मसौदा जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विदेशी निवेश को अधिक सरल और कारोबार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नए नियमों का मसौदा जारी किया है।

केंद्रीय बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत विदेशी निवेश से जुड़े मौजूदा नियमों की समीक्षा करते हुए नया ढांचा प्रस्तावित किया है। इस मसौदे पर उद्योग, निवेशकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं।

आरबीआई का कहना है कि मौजूदा नियम समय के साथ जटिल हो गए हैं, जिससे विदेशी निवेशकों और भारतीय कंपनियों को अनुपालन में कठिनाई होती है। नए मसौदे का उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, परिभाषाओं में एकरूपता लाना और नियामकीय बोझ कम करना है। इससे निवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान होने की उम्मीद है। प्रस्तावित ढांचे के तहत सरकार की क्षेत्रवार एफडीआई नीति और फेमा के प्रक्रियागत नियमों को अलग रखने का सुझाव दिया गया है।

■ **आरबीआई ने मसौदे पर उद्योग, निवेशकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त तक सुझाव मांगे**

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ गाजियाबाद
(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत प्राधिकरण/निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं में आवंटन हेतु अवशेष विभिन्न श्रेणी के भवनों के आवंटन हेतु निम्न विवरण के अनुसार योजनायें प्रकाशित की गई थी।

क्रम सं०	योजना का नाम/कोड	उपाध्यक्ष आदेश दिनांक	भवनों की संख्या	प्रकाशन तिथि
1	श्रीराम नार्थ व्यू आपर्टमेन्ट के नाम से निजी विकासकर्ता मै० राकफोर्ट डब्लपर्स प्रा०लि० खसरा सं0–1174 ग्राम नूरनगर योजना सं0–939–41डी0	02.07.2026	01-ST	05.07.2026 से 20.07.2026
2	निजी विकासकर्ता आराध्यम के नाम से मै० आराध्यम बिल्डर खसरा सं0–358मि, 462मि, 493मि, 494मि, 332, 337, 338, 339, 390मि, 391मि व 394मि राजस्व ग्राम पसोंडा गाजियाबाद, योजना सं0–937–41डी0		01-SC 04-ST	05.07.2026 से 20.07.2026
3	निजी विकासकर्ता आराध्यम–2 के नाम से मै० आराध्यम बिल्डर्स खसरा सं0–945मि, 946 मि, व 954 ग्राम डासना गाजियाबाद, योजना सं0–940–41डी0		05-SC 06-ST 07-OBC, Senior Citizen 04-OBC, Single Female Widow	05.07.2026 से 20.07.2026

उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 21.07.2026 के क्रम में उपरोक्त योजनाएं दिनांक 21.07.2026 से 31.07.2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। उक्त से सम्बन्धित विस्तृत विवरण/आवेदन पत्र http://pmay.gdaghaziabad.in पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.in पर भी उपलब्ध हैं।

प्रभारी पी०एम०ए०वाई०

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, @Gda Ghaziabad : gdagzb
हेल्पलाईन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप :9990988004, वेबसाईट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प

एचटी मीडिया लिमिटेड
सीआईएनः L22121DL2002PLC117874
पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोनः +91-11-66561355, ई-मेलः corporatedept@hindustantimes.com;
वेबसाइटः www.htmedia.in
कारपोरेट कार्यालयः 5वीं मंजिल, लोटस टावर, ए ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर
न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषयः अदत्त/बेदावेदार लाभांश और इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई.ई.पी.एफ.) में अंतरण

एतदद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) (**"अधिनियम"**), साथ में पठित, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 (**"आई.ई.पी.एफ. नियमों"**) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी को आई.ई.पी.एफ. खाते में उन शेयरों को अंतरित करना है, जिनके लाभांश सात (7) या अधिक अनवरत वर्षों के दौरान अदत्त या बेदावेदार पड़े हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 124(6) और आई.ई.पी.एफ. नियमों के अनुसार, कम्पनी को उन शेयरों को भी आई.ई.पी.एफ. खाते में अंतरित करना है, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात (7) वर्ष या उससे अधिक अवधि तक अदत्त या बेदावेदार रहता है।

कम्पनी ने उन शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर, उचित कार्यवाही किए जाने के लिए, व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर आई.ई.पी.एफ. नियमों के तहत आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण के डिमैट खाते को अंतरित किए जाने के काबिल हैं। उन शेयरधारकों की सम्पूर्ण सूची, कम्पनी की वेबसाइट यानी www.htmedia.in पर 'Investor relations' सेक्शन के अधीन लगा दी गई है जिन्होंने लगातार सात वर्षों से अपने लाभांश को भुनाया नहीं है और जिनके शेयर आई.ई.पी.एफ. में अंतरित किए जाने हैं।

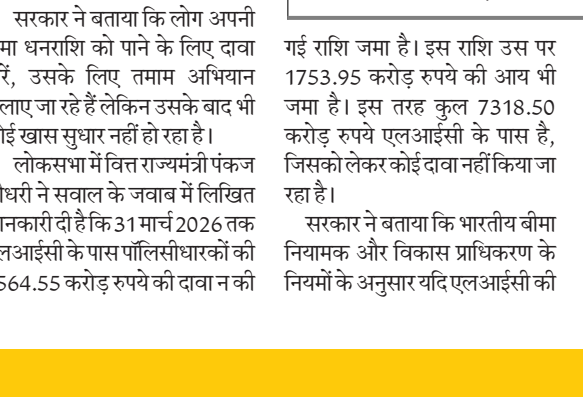

वे शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर पड़े हैं, और जिनके शेयर आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के काबिल हैं, कृपया ध्यान दें कि कम्पनी डिमैटिरयलाइजेशन हेतु और उसके बाद आई.ई.पी.एफ. नियमों के अनुसार आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण को शेयरों की अंतरण करके उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र (पत्रों) के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र (पत्रों) जारी करेगी। ऐसे निर्गमन पर, मूल प्रमाणपत्र (पत्रों) जो उनके नाम में पंजीकृत हैं स्वतः रद्द माने जाएंगे और गैर-परक्राम्य समझ लिए जाएंगे। डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। शेयरधारक इस पर भी ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा उनके बेवसाइट यानी www.htmedia.in पर अपलोड किए गए विवरण आई.ई.पी.एफ. नियमों के अनुसरण में आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा नए प्रमाणपत्र (पत्रों) को निर्गमन के संबंध में पर्याप्त सूचना समझी व मानी जाएगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध किया/सलाह दी जाती है कि **29 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले** अदत्त/बेदावेदार लाभांश राशि(यों) का दावा करें, अन्यथा लाभांश और इक्विटी शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण को अंतरित करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगी। संबंधित शेयरधारक अभी भी वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध ई-फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके तथा अधिनियम और आई.ई.पी.एफ. नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण से लाभांश और इक्विटी शेयरों का दावा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक के अदत्त/बेदावेदार लाभांश और उससे संबंधित शेयर पहले ही आई.ई.पी.एफ. को अंतरित किए जा चुके हैं, और उनका कथित आई.ई.पी.एफ. नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण से वापसी के लिए दावा किया जा सकता है।

उक्त के संबंध में किसी भी पूछताछ हेतु, शेयरधारक कृपया कम्पनी के पंजीयक तथा ट्रांसफर एजेंट से केफिन टेक्नोलॉज़ीज़ लि., **यूनिटः एचटी मीडिया लिमिटेड**, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 व 32, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500032, टॉल फ्री नं.: 1800-309-4001, ई-मेलः einward.ris@kfintech.com, वेबसाइटः www.kfintech.com पर सम्पर्क करें।

कृते **एचटी मीडिया लिमिटेड**
ह०/-
मनहर कपूर
(ग्रुप जनरल काउंसल एवं कम्पनी सचिव)

तिथिः 21 जुलाई, 2026
स्थानः नई दिल्ली

कॉरपोरेट कॉर्नर

नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में गेल (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी दीपक गुप्ता और निदेशक (एचआर) आयुष गुप्ता ने कर्मचारियों के साथ भीकाजी कामा प्लेस में श्रमदान किया। अभियान के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के प्रति गेल की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड और गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के बीच एक मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। एमओए पर जसपाल सिंह कुशवाहा और डॉ. एम. सुंदरमारी ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान प्रो. डॉ. एन. पंचनाथम और थारा रमेश सहित दोनों संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब नेशनल बैंक का शुद्ध लाभ 214 प्रतिशत बढ़कर 5,253 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। बैंक का शुद्ध लाभ 213.6 प्रतिशत बढ़कर 5,253 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,675 करोड़ रुपये था। इस दौरान वैश्विक कारोबार 10.2 प्रतिशत बढ़कर 29.97 लाख करोड़ रुपये और वैश्विक जमा 8.5 प्रतिशत बढ़कर 17.24 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। वैश्विक ऋण में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का सकल एनपीए घटकर 2.78 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.28 प्रतिशत पर आ गया। वहीं, आवास, वाहन, कृषि और एमएसएमई ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का सीआरएआर बढ़कर 18.13 प्रतिशत और वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन 2.50 प्रतिशत रहा। बैंक ने कहा कि मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता, खुदरा ऋण में निरंतर वृद्धि और बेहतर पूंजी स्थिति उसके संतुलित एवं टिकाऊ विकास को दर्शाती है। साथ ही, बचत और चालू जमा में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे बैंक की मजबूत जमा आधार और कारोबार विस्तार की रणनीति को बल मिला।

नई दिल्ली में गेल (इंडिया) लिमिटेड और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बीच महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर संजीव कुमार, और सुनील कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आर. के. सिंघल, निदेशक, गेल तथा दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान आईआरईडीए के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक डॉ. बिजय कुमार मोहंती ने कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार बारिक के साथ कंपनी के सेवा स्टॉल का शुभारंभ किया। यहां श्रद्धालुओं को भोजन, पेयजल उपलब्ध कराने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूक भी किया गया।

आरईसी लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के सरकारी स्कूलों में 20 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए करियर फोरम के साथ समझौता किया। एमओए पर अरुण कुमार त्यागी और अनंत चौहान ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एल. बी. नौटियाल सहित आरईसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।